पत्रसं0–परि0–डी0ओ0(2019–20)/ 16 /वा0 कर,

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(परिवाद अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक :: मई ,12, ,2020

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश।

परिवाद अनुभाग में लम्बित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण हेतु मेरे द्वारा दिनांक 01.10.2019 को इस आशय से अर्द्धशा0 पत्र प्रेषित किया गया था कि अपने जोन में लम्बित शिकायतों के सम्बन्ध में एक माह के अन्दर सुस्पष्ट आख्या प्रेषित करें। तत्पश्चात दिनांक 05.02.2020 को एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0 प्र0 द्वारा दिनांक 05.02.2020 को लम्बित प्रकरणों की सूची के साथ पुनः पत्र प्रेषित करते हुए आख्या प्रेषित करने हेतु आपको अन्तिम रुप से 15 दिन का समय प्रदान किया गया था, परन्तु अधिकतर प्रकरणों में आप द्वारा अब तक कोई आख्या प्रेषित नहीं की गई है, जिसके कारण कतिपय प्रकरण काफी समय से लम्बित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने जोन से सम्बन्धित समस्त लम्बित प्रकरणों की सुस्पष्ट आख्या तत्परतापूर्वक प्रत्येक दशा में एक सप्ताह के अन्दर ई–मेल के माध्यम से प्रेषित करना सुनिश्चित करें ।

उक्त के अतिरिक्त यह भी निर्देशित किया जाता है कि कोविड–19 के कारण लॉकडाउन की स्थिति में परिवाद अनुभाग से सम्बन्धित समस्त पत्राचार ई–मेल–ctcomplhqlu-up@nic.in पर किया जायेगा।

(अमृता सोनी)
कमिश्नर, वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठाकंन पत्र संख्या दिनांक उक्त–

प्रतिलिपि–

1. ज्वा0 कमि0 (आई0 टी0) वाणिज्य कर, मुख्यालय लखनऊ को विभागीय वेबसाइट के नोटिस बोर्ड पर अपलोड कराने हेतु ।

12/05/2020
ज्वाइन्ट कमिश्नर (परिवाद) वाणिज्य कर
मुख्यालय लखनऊ।